

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ग्रा0 ज0 1-101/2015 **255(मग)** पटना - 15 दिनांक **31/10/2017**

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, आरा / सासाराम / भगुआ / मोतिहारी / ढाका / पूर्णियाँ / सहरसा।

विषय -- वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 280.00 लाख रुपये (दो करोड़ अरसी लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक - 6/ग्रा0 ज0 1-101/2015 - 1777 दिनांक 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 280.00 लाख रुपये (दो करोड़ अरसी लाख रुपये) मात्र का प्रगण्डलवार आवंटन निर्भांकित तालिका के अनुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	पंचायतों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	
					अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
1	भोजपुर	आरा	228	1140	45.00	पैंतालीस लाख रुपये मात्र।
2	रोहतास	सासाराम	245	1225	60.00	साठ लाख रुपये मात्र।
3	कैमूर	भगुआ	149	745	70.00	सत्तर लाख रुपये मात्र।
4	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	220	1100	35.00	पैंतीस लाख रुपये मात्र।
5	पूर्वी चम्पारण	ढाका	185	925	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
6	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	246	1230	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
7	सहरसा	सहरसा	153	765	30.00	तीस लाख रुपये मात्र।
कुल			1426	7130	280.00	दो करोड़ अरसी लाख रुपये मात्र।


2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 01-जल पूर्ति लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या - 36 उप शीर्ष - 0111-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) - विपत्र कोड - 36-4215017890111 - विषय शीर्ष - 0111.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत रागी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक एम0 04 - 05/98 - 2561 (वि0 - 2) दिनांक - 17-04-98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

6. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।



(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख - सह - विशेष सचिव

ज्ञापक :- 255 (मग0)

पटना, दिनांक :- 31/10/2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / तिरहुत / पूर्णियाँ / कोसी को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर / रोहतास / कैमूर / पूर्वी चम्पारण / पूर्णियाँ / सहरसा / उप विकास आयुक्त, भोजपुर / रोहतास / कैमूर / पूर्वी चम्पारण / पूर्णियाँ / सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, आरा / सासाराम / भगुआ / मोतिहारी / पूर्णियाँ / सहरसा / उप-कोषागार पदाधिकारी, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आपा सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आपा सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पूर्णियाँ / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (गो0) / अधीक्षण अभियन्ता, आरा / अधीक्षण अभियन्ता, सासाराम / अधीक्षण अभियन्ता, मोतिहारी / अधीक्षण अभियन्ता, पूर्णियाँ / अधीक्षण अभियन्ता, सहरसा / कार्यपालक अभियन्ता सह - नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (गो0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (गो0 1) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित रांचीका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख - सह - विशेष सचिव



